

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 19/2022 बउनवानी के.बी.मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.सवाईमाधोपुर द्वारा-श्री संजीव कुमार सैन, मकान नम्बर, 686/64 वार्ड नम्बर-64 राज. सीनियर सै0 स्कूल के पीछे एवं विराठ माता मंदिर के सामने, सुभाष नगर भीलवाडा 311001

GCMS No-2022/19

On line Appeal No- 32179491372269

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

08.02.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

2- Under FPS code 2049 NFSA beneficiary name who have more than 2 hect. Agriculture land in village -Jharoli and barh karoli

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौरान सुनवायी पैरोकार रसद ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: रसद/आरटीआई/2022/230 दिनांक 8.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना (ग्राम झारोली व बाढ कारोली के खाद्य सुरक्षा सूची पोर्टल से अपलोड कर ) अपीलान्त को जरिय पत्रांक 229 दिनांक 7.2.2022 को जरिये डाक एवं जरिये ई-मेल भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की (कुल 6 पृष्ठों की) सूचना जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 229 दिनांक 8.2.2022 से अपीलान्त को जरिये डाक एवं जरिये ई-मेल भिजवायी जा चुकी है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा गुजरने के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा में निस्तारण करते हुए संबंधित को सूचना उपलब्ध करवायी जावे। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्त को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दस्तावेज अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर